



प्रेषक

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2026

विषय:- स्वतन्त्रता दिवस समारोह, 2026।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतन्त्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 80वां स्वतन्त्रता दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी के साथ परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा।

2- स्वतन्त्रता दिवस समारोह, 2026 के सम्बन्ध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किन्तु यदि आवश्यक समझा जाए तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

(1) 15 अगस्त, 2026 को प्रातः 08:00 बजे सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तथा झण्डा-अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांधकर उसे फहराया जाए।

(2) इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ-निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाए तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ-साथ परम्परागत एकता प्रदर्शित करने के लिए लोगों की मानव-श्रृंखला बनाने पर भी विचार किया जाए।

(3) समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिनमें राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतन्त्रता-संग्राम का इतिहास बताया जाए तथा देश के लिए शहीद हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंगों को दोहराया जाए, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देशप्रेम की भावना जागृत करने वाले नाटकों, विचार-गोष्ठियों व प्रदर्शनियों के साथ-साथ वाद-विवाद व निबन्ध-लेखन आदि से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं का भी यथा-सम्भव आयोजन कराया जाए। शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

(4) स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु खेल विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

(5) स्वाधीनता दिवस पर वीरों का वन्दन करने के भाव के साथ साथ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, सशस्त्र सेना, पैरामिलिट्री बल, सशस्त्र पुलिस बल व पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों, शहीदों के आश्रितों एवं पूर्व सैनिकों को माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित कराया जाए।

(6) वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए।

(7) प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर आधारित विकास प्रदर्शनियां आयोजित कराई जाएं।

3- अपरान्ह में परम्परागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाए, जिसमें:-

1. स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन-साधारण को यह स्मरण कराया जाए कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष कर व अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश को स्वतन्त्रता दिलाई तथा इसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता को और सशक्त बनाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जन-साधारण को बताया जाए कि सभी समुदायों के महापुरुषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाई-चारे व इंसानियत पर बल दिया है; इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों के कार्यों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाए, ताकि समाज में मनुष्य और मनुष्यता का महत्व बढ़े।
2. राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक 'राष्ट्रीय ध्वज' के महत्व के बारे में जनमानस को अवगत कराया जाए तथा 'हर घर तिरंगा' अभियान को पूरे जोश एवं जनसहभागिता के साथ मनाया जाए।
3. पंथ-निरपेक्षता की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाए कि राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं; मेल-जोल से होता है, बैर-भाव से नहीं; एक-दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरुषों का आदर करने से होता है, अनादर से नहीं।
4. इस समारोह में यदि किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बुलाया जाना सम्भव हो, तो उन्हें ससम्मान आमन्त्रित किया जाए।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- 15 अगस्त, 2026 को विकास खण्ड, तहसील तथा जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाए; श्रेयस्कर होगा कि इन समारोहों का आयोजन उन्हीं स्थानों पर किया जाए, जहां सन् 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन-समुदाय ने आह्लादित एवं रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था।
- 5- स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2026 की रात्रि में सरकारी कार्यालय-भवनों तथा अन्य भवनों एवं स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाए।
- 6- स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए, जो 15 अगस्त, 2026 को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं।
- 7- विकास सम्बन्धी शासन की प्राथमिकताओं से जन-मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए; साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए।
- 8- प्रदेश सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग के साथ-साथ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए 'साफ नीयत-सही विकास' के संकल्प को साकार कर रही है तथा प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को 01 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है; इस संकल्प को पूरा करने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान, महिला, युवा तथा गरीब हैं तथा इनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- 9- राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्न परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जनसभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाए।
- 10- यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। राज्य सरकार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना तथा स्वतन्त्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है।

इस कार्यक्रम का आयोजन जारी दिशा-निर्देश के अनुसार गरिमामय ढंग से किया जाए।

संलग्नक - परिशिष्ट

एस0पी0 गोयल

मुख्य सचिव

संख्या-13/2026/492(1) /उन्नीस-2-2026-1061/85 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय उप मुख्यमन्त्री जी/समस्त माननीय मन्त्री जी /माननीय राज्यमन्त्रीजी जी (स्वतन्त्र प्रभार)/ माननीय राज्य मन्त्री जी के निजी सचिवों को माननीय मन्त्री जी के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, नगर निगम; अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,

संजय प्रसाद

अपर मुख्य सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम:-

1. जनसमस्या निवारण:-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित “जनता दर्शन” में आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 27 जुलाई, 2026 तक कुल 6,97,70,753 प्राप्त संदर्भों में से 6,87,49,440 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। तहसीलों में ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा ‘थाना दिवस’ दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

2. धर्मार्थ कार्य:-

- (1) उत्तर प्रदेश के मूलनिवासी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने पर जीवनकाल में एक बार एक लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 557 तीर्थ यात्रियों को अनुदान वितरित।
- (2) धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन। इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले तीर्थ यात्रियों को रु0 20,000 की धनराशि प्रदान की जाती है।
- (3) धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा संचालित अयोध्या में पब्लिक एमिनटीज (सार्वजनिक सुविधाएं) का विकास रामपथ के दोनों ओर शेष रिक्त भूमि का सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण। जनपद अयोध्या में सरयू नदी में फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण। श्री राम जन्म भूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्य पहुंच मार्ग लम्बाई 12.940 किमी0 04 लेन का कार्य पूर्ण।
- (4) धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा कई परियोजनाएं संचालित हैं। इसके तहत जनपद अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 35 सार्वजनिक शौचालय एवं यूटिलिटीज का निर्माण। जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण। जनपद गोरखपुर में भजन संध्या स्थल का निर्माण।
- (5) वैदिक विज्ञान केन्द्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थापना की गयी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अयोध्या में 05 आधारभूत विकास परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. कानून व्यवस्था:-

- (1) प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी।
- (2) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने क्रियाशील। प्रदेश के समस्त जनपदीय थानों में साइबर सेल/हेल्प डेस्क की स्थापना। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल/हेल्पलाइन नं० 1930 की सहायता से अगस्त, 2019 से माह जून, 2026 तक रु० 874 करोड़ 58 लाख से अधिक की धनराशि फ्रीज़/होल्ड करायी गई।
- (3) प्रदेश में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू।
- (4) यू०पी० 112 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोतरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई हैं। यू०पी० 112 के अंतर्गत 7,16,84,344 आपात सहायता प्रदान की गयी। यू०पी-112 का रिस्पांस टाइम वर्तमान में 06 मिनट 11 सेकेण्ड है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पॉवर लाइन 1090, जी०आर०पी०, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण।
- (5) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए गठित एंटी रोमियो स्क्वाड के अंतर्गत 05 करोड़ 95 लाख से अधिक व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 02 करोड़ 20 लाख से अधिक व्यक्तियों को चेतावनी एवं 42,226 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही। प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कर 80 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण।
- (6) महिला सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में 03 महिला पी०ए०सी० बटालियन का गठन तथा 05 अन्य के गठन की प्रक्रिया गतिमान।
- (7) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल का गठन।
- (8) प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही में 20 मार्च, 2017 से अब तक 303 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 12,202 घायल। 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 87,835 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 995 अपराधियों के विरुद्ध एन०एस०ए० की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत 152 अरब 33 करोड़ रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।
- (9) प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1,494 के विरुद्ध 909 अभियोग पंजीकृत तथा 651 की गिरफ्तारी, 18 के विरुद्ध एन०एस०ए०, 802 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु० 4,309 करोड़ से अधिक की

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सम्पत्ति जब्त। साथ ही 36 माफिया व 104 संगठित अपराधियों की सघन पैरवी कराकर आजीवन कारावास व 02 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड से दण्डित कराया गया।

(10) ऑपरेशन कन्विकशन के अंतर्गत 01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026 तक विभिन्न अपराधों में कुल 1,48,441 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। विभिन्न अपराधों में 105 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड, 12,103 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 2,301 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 7,389 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष की सजा, 11,110 अभियुक्तों को 05 से 09 वर्ष की सजा, 1,15,433 अभियुक्तों को 05 वर्ष से कम की सजा से दण्डित कराया गया।

(11) प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था हेतु 134 नये थाने, 07 महिला थानों की स्वीकृति, 86 नई पुलिस चौकी, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 75 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थानों की स्थापना।

(12) मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।

(13) अप्रैल, 2017 से अब तक विभिन्न पदों पर 2,21,245 पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा कुल 1,60,846 पुलिस कर्मियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति। प्रदेश के समस्त थानों में कुल 19,400 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 9,172 महिला बीटों का आवंटन।

(14) मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय “धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो” के अनुपालन अभियान के अंतर्गत 1,17,145 लाउडस्पीकर हटवाये गये तथा 1,85,468 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

(15) महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन 1090 का गठन। महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध हुए अपराधों में 30 जून, 2026 तक 34,734 अभियोगों में तथा पाँक्सो अधिनियम के 15,402 अभियोगों एवं बलात्कार के 4,714 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी।

(16) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यक्ष ऐप का लोकार्पण किया गया, इस ऐप से किसी भी जनपद में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को करने वाले आधार का अभिलेखीकरण एवं निरन्तर सत्यापन किया जा रहा है।

(17) प्रदेश के 12 जनपदों- लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।

(18) ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 12,78,287 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित कुल 12,149 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले:-

- (1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से माह जून, 2026 तक कुल 23 किस्तों में 3.12 करोड़ कृषकों को कुल ₹0 1,03,392.09 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे खातों में हस्तांतरित की गयी।
- (2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह जून, 2026 तक कुल 69.46 लाख बीमित कृषकों को ₹0 5,966.87 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान।
- (3) खेत तालाब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 में माह जून, 2026 तक कुल 33,983 खेत-तालाब का निर्माण।
- (4) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 91,104 सोलर पम्पों की स्थापना।
- (5) प्रदेश के समस्त जनपदों में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत 2,324 क्लस्टर के 1,16,200 हे0 क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 11,750 हे0 क्षेत्रफल गो-आधारित प्राकृतिक खेती में परिवर्तित। प्रदेश में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025-26 तक 2,11,960 हे0 क्षेत्रफल जैविक खेती में परिवर्तित। वर्ष 2026-27 में 91,400 हे0 क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित।
- (6) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह जून, 2026 तक 569.09 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज वितरित। उत्पादन बढ़ोतरी हेतु वर्ष 2023-24 से माह जून, 2026 तक 20.74 लाख तिलहन एवं 7.27 लाख दलहन बीज मिनीकिट वितरित।
- (7) वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह जून, 2026 तक कुल ₹0 14,98,426.01 करोड़ फसली ऋण वितरित एवं माह जून, 2026 तक कुल 533.79 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।
- (8) वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह जून, 2026 तक कुल 860.72 लाख मी0टन विभिन्न उर्वरकों का वितरण एवं माह जून, 2026 तक कुल 1,64,176.57 मी.टन/कि.ली. रक्षा रसायन का वितरण।
- (9) कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु 30प्र0 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति-2020 लागू। वर्ष 2021-22 से माह जून, 2026 तक कुल 4,276 एफपीओ का गठन।
- (10) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से माह जून, 2026 तक कृषकों को कुल 7.70 लाख मिलेट्स (श्रीअन्न) मिनीकिट वितरित।
- (11) प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से माह जून, 2026 तक कुल 2.52 लाख लाभार्थी कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया गया।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (12) सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 2026-27 में रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना हेतु रु0 15000 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। खरीद 2026 में निर्धारित लक्ष्य 20.45 लाख मी0टन के सापेक्ष 30 जून, 2026 तक 14.20 लाख मी0टन उपलब्धता है। 396 लाख मी0टन का वितरण कृषकों को किया गया।
- (13) अधिकोषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 30 जून, 2026 तक रु0 6081.87 लाख का दीर्घकालीन फसली ऋण वितरण से 1870 किसानों को मिला लाभ। वर्ष 2026-27 में 30 जून, 2026 तक रु0 91416.00 लाख अल्पकालीन फसली ऋण वितरण से कुल 10.12 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु0 500.00 लाख अंशपूंजी की सहायता का प्राविधान।
- (14) वर्ष 2026-27 में 01 अप्रैल से 30 जून, 2026 तक रु0 8042.20 लाख का उपभोक्ता व्यवसाय। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50 गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव कृषि निदेशालय को प्रेषित, जिसके सापेक्ष 50 गोदामों के निर्माण हेतु रु0 2458.00 लाख की धनराशि स्वीकृत।
- (15) सहकार से समृद्धि योजना के अन्तर्गत पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के तहत प्रदेश की कार्यशील समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु नाबार्ड को स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एवं शीर्ष बैंक को स्टेट डेज़िग्नेटेड एजेंसी नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों एवं एम-पैक्स से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
- (16) मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारी/आढ़तियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 30 जून, 2026 तक कुल 6,899 कृषक लाभार्थियों को धनराशि रु0 1277.24 लाख की अनुदान राशि वितरित।
- (17) मण्डी समितियों के आंतरिक कार्यों को भी ऑनलाइन करने की दिशा में ई-मण्डी योजना के अंतर्गत 01 अगस्त, 2025 से 30 जून, 2026 तक लगभग 11,894 ई-मण्डी लाइसेंस निर्गत किये गये। ई-नाम के अंतर्गत प्रदेश की 162 मण्डियों के अंतर्गत 01 अगस्त, 2025 से 30 जून, 2026 तक रु0 1325 करोड़ से अधिक का डिजिटल व्यापार किया गया।
- (18) वर्ष-2026 में अब तक मैंगो पैक हाउस लखनऊ, अमरोहा एवं सहारनपुर के माध्यम से 100.027 मीट्रिक टन आम प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्न देशों में निर्यात किया गया।
- (19) वित्तीय वर्ष 2026-27 में 120 सम्पर्क मार्गों लम्बाई 169.71 किमी0 लागत रु0 47.50 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं।
- (20) वित्तीय वर्ष 2025-26 में 347 नवीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य लम्बाई 416.23 किमी0 लागत रु0 236.06 करोड़ धनराशि स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 26 मार्गों की लम्बाई 25.05 किमी0 का निर्माण कार्य पूर्ण।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-

- (1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।
- (2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के पेराई सत्रों के भुगतान सहित अब तक गन्ना किसानों को ₹0 3,23,766 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।
- (3) प्रदेश में गन्ना उत्पादकता में 72.38 टन प्रति हे० से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 82.56 टन प्रति हे० हो गयी, जिससे किसानों की आय में ₹0 40,720 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
- (4) विगत 09 वर्षों में प्रदेश में 52.54 लाख हे० क्षेत्रफल में गन्ने के साथ सहफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।
- (5) स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल 'caneup.in' एवं 'e-Ganna' ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध।
- (6) ऑनलाइन खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति जारी। प्रथम बार 285 नई खाण्डसारी इकाईयों हेतु लाइसेंस निर्गत। इससे 73,700 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित होगी।
- (7) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,163 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, जिसमें 57,322 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत। समूहों को अब तक ₹0 8908.42 लाख का अनुदान वितरित।
- (8) कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित अवधि में कराया जा रहा है।

6. आबकारी विभाग -

- (1) आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹0 57,722.26 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जिसकी वृद्धि 109.79 प्रतिशत रही।
- (2) शीरा के उत्पादन, उठान एवं वितरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन।
- (3) विगत 04-05 वर्षों से सतत निगरानी व प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही से अवैध मदिरा उपभोग से जनहानि पर पूर्णतया रोक लगी। एल्कोहल/बीयर उत्पादन की नई इकाईयों की स्थापना करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आबकारी विभाग अग्रसर।
- (4) आबकारी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाते हुए ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन। प्रदेश में राजस्व संवर्धन और उपभोक्ताओं को मानक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा "ट्रैक एण्ड ट्रैश" प्रणाली लागू की गयी।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) प्रदेश में 102 आसवनियां कार्यरत हैं, जिसकी कुल वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 46,372.40 लाख ली० है। एथनॉल उत्पादन में लगातार वृद्धि व आपूर्ति से किसानों की आय में प्रगति एवं रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ विदेशी मुद्रा की बचत में वृद्धि हुई।

7. खाद्य एवं रसद विभाग -

(1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित। वर्ष में 02 निःशुल्क रिफिल सिलेण्डर होली एवं दीपावली के अवसर पर वितरित किया जा रहा है।

(2) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से गेहूँ खरीद हेतु गेहूँ का समर्थन मूल्य रु० 2,585 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। 4,19,431 कृषकों से 21.56 लाख मी० टन गेहूँ क्रय किया गया। धान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य रु० 2,369 प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य रु० 2,389 प्रति कुन्तल निर्धारित करते हुए 10,53,561 कृषकों से 62.31 लाख मी० टन धान की खरीद की गई।

(3) भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 2,775 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। 54,253 किसानों से 2.14 लाख मी० टन बाजरा क्रय किया गया।

(4) मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में रु० 2,400 प्रति कुन्तल की दर से 11,341.91 मी० टन मक्का की खरीद की गई। ज्वार खरीफ के तहत हाइब्रिड रु० 3,699 व मालडण्डी रु० 3,749 प्रति कुन्तल की दर से 43,562.06 मी० टन ज्वार की खरीद।

(5) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओ०टी०पी० प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

(6) एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण:-

(1) प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में लगभग 28 प्रतिशत औद्यानिक फसलों का योगदान। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्जी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तांतरण के उद्देश्य से इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से जनपद बस्ती में फल एवं कन्नौज में शाकभाजी, कौशाम्बी में फल तथा चन्दौली में सब्जी, सहारनपुर में फल तथा लखनऊ में ऑर्नामेन्टल सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस संचालित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति। गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्किल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कुल 31335 इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष अब तक 26,677 इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के नव युवकों/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3) राज्य सेक्टर की फल पट्टी विकास योजना के अंतर्गत 1,537 किसानों को पावर नैपसैक स्प्रेयर, 132 किसानों को ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर, 440 हे0 क्षेत्रफल में कैनापी प्रबंधन, 2,489 हे0 क्षेत्र में आईपीएम आदि सुविधाओं के साथ 2,906 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(4) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राह्यता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 5,80,762 हे0 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा से 4,33,022 लाभार्थी लाभान्वित।

(5) एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्योगिक विकास योजनान्तर्गत 2,48,115 हे0 क्षेत्र में नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी, पुष्प, मसाला एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार किये गये।

(6) आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड़ एवं कुशीनगर में आलू के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।

(7) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा स्थापित 188 शीतगृहों, 09 इन्टीग्रेटेड कोल्डचेन प्रणाली, 2,343.35 मी0टन में राइपनिंग चेम्बर, 06 मिनीमल प्रोसेसिंग इकाई, 1449 पैक हाउस एवं 410 प्याज भण्डार गृहों तथा 216 लो-कॉस्ट प्रिजर्वेशन यूनिट की स्थापना।

9. उद्योग:-

(1) “बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण” (बीडा) का गठन किया गया। यह प्राधिकरण झांसी जनपद के 33 राजस्व ग्रामों की कुल 56,000 एकड़ से अधिक भूमि में विकसित हो रहा है।

(2) झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जायेगी।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश की जीडीपी में प्रदेश का 9.2 प्रतिशत योगदान है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने 30प्र0 को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।
- (4) फरवरी, 2024 में चौथी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई। अब तक रु0 12 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 16,000 परियोजनाओं के चार ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न। रु0 4.33 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 8300 से अधिक परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन के चरण में पहुंच चुकी हैं तथा रु0 7.76 लाख करोड़ की 8100 से अधिक परियोजनाएं प्रगति पर।
- (5) विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति। प्रदेश में विकसित हुई वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपना माल भारत व विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की निर्बाध रूप से सुविधा।
- (6) मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सहायता तथा प्रदेश में निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने और राज्य के सर्वसमावेशी विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र डिजिटल निवेशक संबंध प्रबन्धन पोर्टल निवेश सारथी के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उद्यमी मित्र, जो योग्य विशेषज्ञ हैं तथा निवेशकों के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित करने तथा बनाये रखने में सहायता कर रहे हैं।
- (7) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए “इन्वेस्ट यूपी” द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल ‘निवेश सारथी’ विकसित किया गया है। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत 08 समर्पित कन्ट्री डेस्क की स्थापना की गयी है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होंगे।
- (8) उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार विदेशी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक समर्पित नीति-“उत्तर प्रदेश एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोब 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।
- (9) ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक ‘निवेश मित्र’ का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से उद्यमियों को 43 विभागों की 530 से अधिक ऑनलाइन सेवाओं को घटाकर लगभग 200 किया गया है। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ ‘निवेश मित्र’ देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- (11) वर्ष 2024 के उपरान्त व्यापार सुधार कार्ययोजना के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम स्थापना, भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण नियम, सिंगल विन्डो सिस्टम, उपयोगिता सुधार, निर्माण परमिट जैसे 24 सुधार, प्रमुख क्षेत्रों में 426 सुधारों को कार्यान्वित किया गया है।
- (12) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई औद्योगिक विकास केन्द्र एवं निर्यात केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख नई नीतियों की घोषणा की थी, इनमें सेमीकन्डक्टर नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, बायोप्लास्टिक नीति, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति, एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति एवं प्रतिस्पर्धी वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025, उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन नीति तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 प्रख्यापित। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को एक समग्र अवस्थापना योजना एवं कार्यान्वयन के परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में सक्रिय रूप से स्वीकार किया गया है।
- (13) उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर कार्य प्रगति पर। प्रस्तावित 5,000 हे0 भूमि में से 2,000 हे0 भूमि का अधिग्रहण। डीआरडीओ ब्रम्होस एयरोस्पेस, भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस, इन्कोर रिसर्च लैब, एयरोले टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉम्बैट सिस्टम्स, एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को भूमि आवंटित। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी डिफेंस एवं एयरोस्पेस परियोजना तथा ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एण्ड टेस्टिंग फैसिलिटी सेन्टर का उद्घाटन किया गया है। ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एवं परीक्षण सुविधा केन्द्र लखनऊ में मई, 2025 में उद्घाटित किया गया है।
- (14) एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 से अब तक 3,335 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए 72 हजार लोगों को रोजगार से लगाया गया।
- (15) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों जैसे- बढ़ई, मोची, दर्जी, सोनार, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई, कुम्हार, नाई, टोकरी बुनकर आदि को कौशल प्रशिक्षण देते हुए उनको टूलकिट उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 75000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2026-27 में प्रशिक्षण हेतु 75000 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन।
- (16) कौशल विकास एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 28000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर टूलकिट वितरित एवं वर्ष 2026-27 में 28000 लाभार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(17) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब तक 8,092 लाभार्थियों को रु0 24,753.07 लाख मार्जिन मनी वितरित।

(18) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 से अब तक 1,56,313 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए 4,68,939 लोगों को रोजगार से लगाया गया। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 इकाईयों को रु0 10 लाख की वित्तीय सहायता।

(19) प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के नियोजित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग की महती आवश्यकता के दृष्टिगत निजी औद्योगिक आस्थानों के विकास की पीएलईडीजीई (प्लेज) योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 14 प्लेज पार्कों की स्वीकृति, जिसमें जनपद उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, सम्भल, झांसी, मथुरा, मुरादाबाद में 1-1 एवं मिर्जापुर में 02 प्लेज पार्क शामिल हैं।

(20) निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/लाइसेंस/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया ऑनलाइन व्यवस्था। इसके तहत अब तक कुल 53,92,693 उद्यम पंजीकृत हुए।

10. सूचना प्रौद्योगिकी:-

(1) 30प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अंतर्गत संशोधित नीति में लक्ष्यों को उच्चीकृत करते हुए प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित। 644 मेगावाट क्षमता सहित 06 डाटा सेन्टर पार्क तथा 40 मेगावाट से कम क्षमता वाले 02 डाटा सेन्टर इकाईयों की निवेश परियोजना स्वीकृत। 07 परियोजनाएं कार्यरत। 30प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2026 अधिसूचित।

(2) 30प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 प्रथम संशोधन के अंतर्गत कुल रु0 10787.78 करोड़ का निवेश और 1,28,680 से अधिक रोजगार संभावनाओं से युक्त 43 परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन कर निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया गया। संशोधित नीति 2022 को अधिसूचित किया गया है। अब सम्पूर्ण प्रदेश इस नीति से आच्छादित है। यह नीति फरवरी, 2026 से 02 वर्ष के लिए विस्तारित। इलेक्ट्रॉनिक्स इकाईयों को भूमि दर में दी गयी छूट के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को रु0 130.10 करोड़ की प्रतिपूर्ति तथा निवेशकों को रु0 567.63 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण।

(3) प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा निर्यात-2015 में रु0 15000 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में रु0 1,01,970 करोड़ से अधिक का हो गया है, जो 17 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक दर दर्शाता है। वर्तमान में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज एवं आगरा में

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आईटी पार्क्स /एसटीपीआई केन्द्र परिचालनरत हैं। गोरखपुर साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 26 मार्च, 2026 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।

(4) ए0आई0 प्रज्ञा कार्यक्रम का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मई, 2025 को शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दक्ष बनाते हुए वन मिलियन नागरिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(5) उत्तर प्रदेश सेमीकन्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित। सेमीकन्डक्टर इकाईयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना। नीति के अंतर्गत मेसर्स टार्क सेमीकन्डक्टर प्रा0लि0 रु0 28,440 करोड़ तथा मेसर्स इण्डिया चिप प्रा0लि0 की रु0 3706.12 करोड़ के निवेश वाली 02 वृहद परियोजनाओं को निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान कर लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत। मेसर्स इंडिया चिप प्रा0लि0 का शिलान्यास मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 फरवरी, 2026 को किया गया।

(6) उ0प्र0 स्टार्टअप नीति के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत 22,000 से अधिक स्टार्टअप सहित उत्तर प्रदेश में इकोसिस्टम का तीव्र गति से विस्तार। इनमें से 3,500 से अधिक स्टार्टअप स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत हैं। डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप्स में महिलाओं के नेतृत्व में 11,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। नई स्टार्टअप नीति-2026 अधिसूचित।

11. जी0एस0टी0-

(1) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत अक्टूबर, 2017 से राज्य सरकार द्वारा बीमा राशि रु0 05 लाख से बढ़ाकर रु0 10 लाख प्रति करदाता की गयी। वर्ष 2025-26 में 321 करदाताओं के हितार्थियों को रु0 31.94 करोड़ का भुगतान किया गया।

(2) वर्ष 2026 के समारोह में प्रथम बार राज्यकर में योगदान देने वाले छोटे, मध्यम व बड़े करदाताओं को दानवीर भामाशाह सम्मान के लिए सभी 75 जनपदों में चयनित किया गया।

(3) नेक्स जेन जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के तहत जीएसटी दरों को रेशनलाइजेशन के निर्णय के क्रम में जीएसटी की 04 प्रचलित दरों में से 02 दरों 12 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत को समाप्त करते हुए केवल 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत रखा गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु 28 प्रतिशत की अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं को 18 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत की अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं को 5 प्रतिशत में रख दिया गया है।

(4) रु0 5 करोड़ तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों हेतु मासिक कर किन्तु तिमाही रिटर्न की सुविधा प्रभावी है। प्रदेश के निर्यातकों को देय जीएसटी रिफंड का प्राथमिकता पर भुगतान किया जाता है।

(5) जीएसटी पंजीयन में 22.01 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ उ0प्र0 देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास में 1.08 लाख नये पंजीयन कराये गये हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(6) वर्ष 2026-27 में ₹0 198071 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष जून, 2026 तक ₹0 31938 करोड़ का राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ है।

12. नगर विकास:-

(1) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत मिलियन प्लस शहरों में देश में उत्तर प्रदेश के कुल 08 शहरों को पुरस्कार मिला, जिसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। आगरा 10वें, गाजियाबाद 11वें, प्रयागराज 12वें, कानपुर 13वें, वाराणसी 17वें, मेरठ 23वें, अलीगढ़ 26वें स्थान पर रहे। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

(2) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत प्रदेश में 03 से 10 लाख की जनसंख्या के 08 नगरों- गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृन्दावन, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, बरेली एवं अयोध्या ने स्थान प्राप्त किया। 50 हजार से 03 लाख की जनसंख्या में 08 शहर चयनित तथा 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या के शहरों में 05 शहर चयनित।

(3) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चयनित 10 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, पथप्रकाश, स्मार्ट मार्ग व पार्किंग, पार्कों व वाटर बॉडीज के स्वीकृत कार्यों में, 681 कार्य पूर्ण।

(4) राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों-अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 1410.55 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा स्मार्ट सॉल्यूशन आदि के कार्य प्रगति पर। वर्ष 2026-27 हेतु ₹0 450 करोड़ का बजट प्राविधान।

(5) प्रदेश के सभी 17 स्मार्ट शहरों की केन्द्रीकृत एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र से निगरानी के लिए स्मार्टसिटी राज्य केन्द्रीकृत डिजिटल निगरानी केन्द्र की स्थापना।

(6) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 17.67 लाख आवासों को मंजूरी इसमें से 17.03 लाख आवास पूर्ण। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 3.23 लाख आवासों की स्वीकृति।

(7) अमृत योजना-2.0 के अन्तर्गत प्रदेश में ₹0 20617 करोड़ लागत की पेयजल, सीवरेज/सेप्टेज 478 स्वीकृत परियोजनाओं में 280 परियोजनाओं पर कार्य प्रगतिशील तथा इनमें से 84 परियोजनाएं पूर्ण।

(8) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत 9.4 लाख व्यक्तिगत शौचालयों तथा 70,000 से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण, 74 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण, 120.82 लाख मी0टन लेगेसी वेस्ट का निस्तारण, 984 से अधिक वेस्ट टू वण्डरपार्कों का विकास निर्माणाधीन।

(9) मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समरूप एवं समान सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए नागरिकों के

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि की जायेगी। वर्ष 2026-27 में इस योजनान्तर्गत रु0 750 करोड़ का बजट प्राविधान।

(10) नगरीय निकायों में संचालित सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश स्तरीय निगरानी व्यवस्था। जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था तथा प्रदेशव्यापी टोल फ्री नं0 1533 संचालित। जनसामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में ई-नगर सेवा लागू।

(11) आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत सबसे पिछड़े 100 नगर निकायों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं विकास कार्य प्रगति पर।

(12) दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत 2025-26 तक 434 नगर पंचायतों एवं 75 नगर पालिका परिषदों का चयन करते हुए विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु0 350 करोड़ का बजट प्राविधान।

(13) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम-ग्रीड्स) के तहत नगरीय निकायों में पर्यावरण अनुकूल एवं कास्ट इफेक्टिव एकीकृत हरित सड़क नेटवर्क के विकास हेतु 17 नगर निगमों में 102 सड़कों के विकास हेतु रु0 2976.94 करोड़ की धनराशि निर्गत। योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में 850 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान।

(14) प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 'वंदन' योजना के तहत वर्ष 2026-27 में धनराशि रु0 250 करोड़ स्वीकृत। योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, जलनिकासी, सड़क, पथप्रकाश एवं सौन्दर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित, उच्चकृत, सीमा विस्तारित नगर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु वर्ष 2026-27 में रु0 875 करोड़ का बजट प्राविधान।

13. जलशक्ति:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 1300 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिससे 24.09 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 190 लाख कृषक लाभान्वित।

(2) प्रदेश में कुल नहरों की लम्बाई 76,527 किमी0, जलाशयों की संख्या 71 तथा चलित राजकीय नलकूप 36,342 हैं।

(3) प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 1,304 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण। 25.59 लाख हे0 से अधिक भूमि का बचाव करते हुए 221.42 लाख आबादी को लाभान्वित किया गया।

(4) केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य रिवर इण्टरलिंकिंग परियोजना है, जिसमें 90 प्रतिशत धनराशि का व्यय केन्द्र द्वारा एवं 10 प्रतिशत राज्य द्वारा प्रस्तावित

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

है। इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश में 1700 एम0सी0एम0 पानी तथा 2.51 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।

(5) मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना में 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण। परियोजना के पूर्ण होने पर जनपद अमरोहा, संभल, मुरादाबाद में कुल 1.46 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे। जनपद महाराजगंज में रोहिन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण। परियोजना पूर्ण होने से 5,386 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन एवं 16,000 कृषक लाभान्वित हुए। कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य लाभान्वित होंगे। परियोजना पूर्ण होने पर 35,467 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन, 2 लाख आबादी को पेयजल सुविधा, 108 ग्रामों के 53,000 कृषक लाभान्वित होंगे।

(6) प्रदेश में विगत कई वर्षों से 613 किमी0 लम्बाई की 110 बिस्मार निष्क्रिय नहरों की खुदाई एवं गैप कार्य को पूर्ण कराकर टेल तक पानी पहुंचाया गया। इससे 37,285 हे0 अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए 42000 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति:-

(1) नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत 75 सीवर शोधन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। इनमें से 44 सीवर शोधन संयंत्र पूर्ण। 31 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर।

(2) वर्तमान में राज्य में 44 परियोजनाओं में 47 एसटीपी का निर्माण पूर्ण, जिनकी शोधन क्षमता 1100.70 एमएलडी है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी 05 योजनाएं स्वीकृत। 80 घाटों एवं 15 शवदाह गृह का निर्माण कार्य पूर्ण। वाराणसी नगर में 26 घाटों तथा 08 कुण्डों के पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(3) राज्य में 07 गंगा बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। गंगा नदी पर 41 स्थानों से माह जुलाई, 2025 में नेशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लिये गये सैम्पल की जाँच में डीओ 9.40 पीपीएम से 7.3 पीपीएम के मध्य पाया गया।

(5) गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने हेतु जन-जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में 'अर्थगंगा' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनाच्छादित बस्तियों में "हर घर को नल से जल" उपलब्ध कराने के लक्ष्य के क्रम में विंध्य व बुन्देलखण्ड सहित अन्य जनपदों में अब तक 2,45,15,340 से अधिक परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन द्वारा पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(7) प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 1,16,340 स्कूलों एवं 1,55,136 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

(8) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजनांतर्गत 30प्र0 अटल भूजल योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित। 88 अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों में वॉटर सिक्योरिटी प्लान का विकास, पीजोमीटर की स्थापना, शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की स्थापना।

(9) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2,58,579 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, 4,463 गहरी बोरिंग व 9,530 मध्यम बोरिंग नलकूप पूर्ण। 1,253 ब्लास्ट कूपों का निर्माण, 326 चेकडैम, 231 तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार। इससे 5,72,806 हे० सिंचन क्षमता का सृजन।

15. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-

(1) प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी० लम्बे 06 लेन चौड़े (08 लेन विस्तारणीय) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किमी० लम्बी हवाई पट्टी का निर्माण।

(2) बुन्देलखण्ड में जनपद चित्रकूट के भरतकूप के पास से प्रारम्भ होकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर जनपद इटावा के कुदरैल ग्राम तक 296.07 किमी० लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(3) जनपद गोरखपुर के ग्राम जैतपुर के पास से प्रारम्भ होकर जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का 04 लेन चौड़ा (06 लेन विस्तारणीय) 91.352 किमी० लम्बाई की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 जून 2025 को लोकार्पण किया गया।

(4) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी० लम्बाई के 06 लेन (08 लेन विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। दिनांक 29 अप्रैल, 2026 को मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया तथा आवागमन सुचारु रूप से संचालित।

(5) प्रदेश के समस्त एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक केन्द्रों के विकास के लिए इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजनान्तर्गत 27 स्थानों पर इन्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना हेतु 12,700 हे० भूमि का चिन्हांकन। 10,795 हे०भूमि का अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी 06 नोड्स-अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अर्जन। 216 रक्षा उद्योग स्थापना हेतु

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एमओयू हस्ताक्षरित। 66 उद्योगों को कुल 1154.29 हे० भूमि आवंटित, 09 उद्यमी संस्थाओं द्वारा रक्षा क्षेत्र से संबंधित उपकरण का उत्पादन प्रारम्भ।

(6) अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर तथा मार्च, 2026 में जेवर में निर्मित व संचालित हैं, जिसका लोकार्पण मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इस प्रकार प्रदेश में कुल 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स क्रियाशील।

(7) वर्तमान में प्रदेश में 17 क्रियाशील एयरपोर्ट्स से 75-80 डोमेस्टिक तथा इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड हैं।

(8) जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने से उत्तर प्रदेश देश में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना।

16. ऊर्जा:-

(1) प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही। जनपद मुख्यालय 24 घंटे, तहसील मुख्यालय 22:44 घंटे एवं ग्रामीण 20:45 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 15 फरवरी, 2026 से 15 मार्च, 2026 की अवधि को अनुरक्षण माह घोषित कर 4,00,342 कार्य, जिसमें 33/11 केवी स्विचयार्ड ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर लाइन ट्रिस्टीब्यूशन प्रोटेक्शन से संबंधित कार्य किये गये। वर्ष 2025-26 से जून, 2026 तक 8832 पावर ट्रांसफार्मर 2,63,940 ट्रिस्टीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित। बिजनेस प्लान के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2022 से विभिन्न योजनाओं में कुल 103 नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत एवं 1342 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गयी।

(3) कृषकों के हित में पूर्ण जमा योजना तथा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना अंतर्गत 01 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2026 तक 2,58,562 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक 1,66,135 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण।

(4) लाइन हानियों को कम करने के लिए एल०टी० लाइन की खुले तारों व क्षतिग्रस्त केबल को ए०बी० केबिल में बदला गया। इससे लाइन हानियों में कमी आई। वर्ष 2025-26 में लाइन लॉस 13.04 प्रतिशत रहा।

(5) बिजली बिल राहत योजना-2025-26 के अंतर्गत 46,95,780 विद्युत बिल के प्रकरण तथा 182329 विद्युत चोरी के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिसमें 48,78,109 उपभोक्ताओं को रु० 5811.61 करोड़ सरचार्ज की धनराशि माफ की गयी। एकमुस्त समाधान योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 47,71,863 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया।

(6) झटपट पोर्टल पर 2025-26 में 13,98,344 तथा वर्ष 2026-27 में माह जून, 2026 तक 2,68,885 नये संयोजन निर्गत किये गये।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) आर0डी0एस0एस0 योजनान्तर्गत 92,90,143 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। स्थापित समस्त प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है।
- (8) उपभोक्ताओं को घर बैठे नये संयोजन लेने एवं बिल जमा करने की ऑनलाइन सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवा केन्द्रों व जन सेवा केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहों, राशन की दुकानों, विद्युत सखियों, मीटर रीडर के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा।
- (9) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा।
- (10) प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशनों के लागू वर्तमान टैरिफ को राज्य परिवहन के लिए भी अनुमन्य किया गया है।
- (11) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के माह मार्च, 2026 तक 62896.143 मि0यू0 ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया था। दिनांक 25 मई, 2025 को अधिकतम 192.1049 मि0यू0/8004 मे0वाॅट का रिकार्ड विद्युत उत्पादन किया गया।
- (12) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्यों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर।
- (13) ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढीकरण। पारेषण तंत्र की क्षमता में वृद्धि करते हुए वर्ष 2025-26 में पारेषण क्षमता को बढ़ाकर 32,500 मेगावाॅट किया गया। वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 35,000 मे0वाॅट किया जाना लक्षित है।
- (14) यूटीलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 3,010 मेगावाॅट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण।
- (15) पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट के तहत 2,245 मेगावाॅट क्षमता के 6.65 लाख संयंत्रों की स्थापना। सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,49,634 संयंत्रों, सौभाग्य योजना के तहत दूरस्थ ग्रामों में 53,354 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 18,450 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना। पीएम कुसुम योजना घटक सी-1 के अंतर्गत 7,998 ऑन-ग्रिड पम्पों का सोलराइजेशन किया गया।
- (16) सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आगामी 05 वर्षों में 22 हजार मेगावाॅट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित।
- (17) 30प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कृषि व पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड अपशिष्ट आदि विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लाण्ट, बायो-कोल, बायो डीजल व बायो एथेनॉल की इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन। जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 68 परियोजनाओं की स्वीकृति। प्रदेश में 38 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना कराते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17. श्रम एवं सेवायोजन:-

- (1) उ0प्र0 रोजगार मिशन का गठन। आउटसोर्सिंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवॉर्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु व्यवस्था विकसित।
- (2) ई-श्रम पोर्टल पर आरम्भ से अब तक 8.45 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन से मई, 2026 तक 1,93,88,051 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा 4,90,910 निर्माण स्थलों का पंजीयन किया गया, जिसमें रु0 14369.98 करोड़ की धनराशि उपकर के रूप में प्राप्त।
- (3) श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 लाभार्थियों को रु0 3.35 लाख वितरित।
- (4) बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गम्भीर रोग से ग्रसित होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रु0 1,000 प्रति बालक एवं रु0 1,200 प्रति बालिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु0 2.00 करोड़ की धनराशि आवंटित।
- (5) उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अब तक 32,795 कारखाने पंजीकृत, जिनमें 13,840 नये कारखाने पंजीकृत।
- (6) विदेशों में रोजगार हेतु प्रदेश के 6,004 से अधिक निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। वर्तमान में 1336 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
- (7) कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य को स्थानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था। सेवामित्र पोर्टल पर 53,895 कुशल कामगार पंजीकृत। 29188 कैरियर काउन्सलिंग कार्यक्रमों में कुल 33,14,676 अभ्यर्थियों द्वारा कैरियर मार्गदर्शन हेतु प्रतिभाग। मार्च, 2026 तक कुल 13,698 रोजगार मेलों के माध्यम से 17,29,799 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए निजी क्षेत्र में सेवायोजित कराया गया।
- (8) समाज के वंचित तबकों, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा देने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा 10,650 छात्र- छात्राएँ अध्ययनरत।
- (9) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 7,20,630 श्रमिक आच्छादित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

18. शिक्षा:-

- (1) प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। शैक्षिक सत्र 2025-26 से कक्षा 1, 2 एवं 3 हेतु एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित एससीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।
- (2) शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं को प्रथम चरण में 02 सेट यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा रु0 1,200/- धनराशि अन्तरित की गयी है।
- (3) प्रदेश के छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति में वृद्धि हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों, विकास खण्डों एवं विद्यालयों में “स्कूल चलो अभियान” कार्यक्रम संचालित किया गया।
- (4) कक्षा 06 से 08 तक के बच्चों को कौशल विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए 5,562 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लर्निंग बाई इईग संचालित। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल। 38,465 उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में 10,78,402 बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण।
- (5) मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के अंतर्गत 150 विद्यालयों के निर्माण हेतु कार्ययोजना स्वीकृत। प्रत्येक जनपद के एक कक्षा 01 से 08 तक विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है।
- (6) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक पूर्व आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। कक्षा-06 से 08 तक के समस्त 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण। विद्यालयों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना की गयी।
- (7) प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों/बालवाटिका में विभिन्न रचनात्मक खेल खेलौने आदि गतिविधियां संचालित।
- (8) प्रदेश में वर्तमान में कुल 2,460 राजकीय 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 22045 स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय संचालित। प्रदेश में 1,296 संस्कृत विद्यालय संचालित। 60 नये राजकीय

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति। 280 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल का संचालन, 41 नये इण्टर कॉलेज एवं 215 राजकीय हाईस्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण।

(9) प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत प्रदेश के 1253 विद्यालयों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2025-26 में ₹0 479.49 करोड़ व्यय करते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष, प्रयोगशाला, मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, पेयजल, अतिरिक्त कक्षाकक्ष, चहारदीवारी, विद्यालयों में विद्युतीकरण आदि सुविधाओं से संतुष्ट किया जा रहा है।

(10) पीएमश्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के 160 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया गया। विद्यार्थियों में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्वीकृत 1,841 आई0सी0टी0 लैब स्थापित एवं क्रियाशील, 1,236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित।

(11) समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 731 नवीन राजकीय विद्यालयों एवं 970 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में संचालन की कार्यवाही। कौशल प्रवीण योजना के अंतर्गत 630 राजकीय विद्यालयों एवं समग्र शिक्षा द्वारा 853 विद्यालयों के विद्यार्थी प्रशिक्षणरत।

(12) प्रदेश में कुल 330 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित। वर्तमान में प्रवेशित सीटों की संख्या 1.84 लाख हो गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं उनके कन्सोर्टियम द्वारा सी.एस.आर. के सहयोग से 149 आई.टी.आई., एक प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में कौशलम केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें 11 दीर्घकालीन न्यू एज कोर्स एवं 15 शार्ट टर्म कोर्सेज का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में 11917 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणरत। अप्रेन्टिसशिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 1,06,000 युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।

(13) प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय कुल 218 संस्थाएं शासन द्वारा स्वीकृत हैं, जिनमें 199 राजकीय एवं 19 अनुदानित हैं। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब तथा 398 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना।

(14) प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के दृष्टिगत उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत एक वर्षीय 04 नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारम्भ। 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के उन्नयन हेतु एक्सिलेंस सेन्टर स्थापित कराये जाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लि0 से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित।

(15) प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल का क्रियान्वयन सत्र 2025-26 से समस्त विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(16) प्रदेश के समस्त राजकीय/अनुदानित मान्यता प्राप्त उच्चशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तकनीकी कार्यों में सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना संचालित। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत मेधावी छात्र एवं छात्रा को बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2026-27 हेतु रु0 3000 लाख का बजट स्वीकृत। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत उच्चशिक्षा की 50,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करने की योजना।

(17) प्रदेश में नव स्थापित 71 नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना व संचालन। प्रदेश में कुल 24 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 54 निजी विश्वविद्यालय, 216 राजकीय महाविद्यालय, 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 7,526 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

19. समाज कल्याण:-

(1) “मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना” के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 23,801 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2026-27 में 10,407 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 743 से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित।

(2) राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 67.50 लाख पेंशनरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की गयी।

(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,36,455 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 103 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) संचालित, जिसमें वर्ष 2026-27 में 38,338 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति युगल विवाह हेतु धनराशि रु0 51 हजार से बढ़ाकर रु0 01 लाख कर दी गई है। वर्ष 2025-26 में 76,522 जोड़ों को तथा वर्ष 2026-27 में अब तक 11,504 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

(6) प्रदेश के समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित। इसके माध्यम से वर्ष 2026-27 में अब तक 6,425 वृद्ध लाभान्वित।

(7) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अब तक अनुसूचित जाति के 4,39,647 छात्र-छात्राओं एवं सामान्य वर्ग के 1,59,279 छात्र-छात्राओं को तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 2025-26 में अनुसूचित जाति के 12,44,775 छात्र-छात्राओं तथा सामान्य वर्ग के 7,82,840 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति वितरित।

(8) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,88,863 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 189.52 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27,86,431 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 2882.02 करोड़ हस्तान्तरित।

(9) पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,16,000 लाभार्थियों के खाते में रु0 232 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित।

(10) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल व सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22,407 ओ-लेवल एवं 6,784 सी0सी0सी0 कम्प्यूटर में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(11) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मूलभूत सुविधाओं आईटीआई, राजकीय इण्टर कॉलेज, पाइप पेयजल, सीवरेज, छात्रावास आदि 405 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण। वर्ष 2025-26 में 24 परियोजनाएं पूर्ण एवं वर्ष 2026-27 में 52 परियोजनाएं निर्माणाधीन।

(12) अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,26,172 छात्र-छात्राओं को रु0 3,720 लाख एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 4,63,687 छात्र-छात्राओं को रु0 32,346 लाख की छात्रवृत्ति वितरित।

(13) प्रदेश में 12,23,295 दिव्यांगजनों को 1,000 रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/पेंशन तथा 13,667 लाभार्थियों को 3,000 रु0 प्रतिमाह की दर से कुष्ठावस्था पेंशन वितरित।

(14) शल्य चिकित्सा अनुदान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में 226 दिव्यांगजनों को शल्य चिकित्सा अनुदान। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 1,047 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में कुल 34,440 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश में 03 से 06 वर्ष के श्रवण बाधित मानसिक मंदित तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के प्री-स्कूल रेडिनेस हेतु 25 जनपदों में बचपन डे-केयर सेंटर्स का संचालन।

(15) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 5,882 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित, जिसमें कुल 2,168 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20. महिला एवं बाल विकास:-

- (1) राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026 में अब तक 1,03,350 से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया तथा 42,776 बच्चों को स्पांसरशिप के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। 2,004 बालकों को अब तक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया।
- (2) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी बालिका को 25,000 रु0 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 28.35 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित। कुल रु0 712.23 करोड़ की धनराशि अंतरित।
- (3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 8,189 गतिविधियों के माध्यम से 55.50 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।
- (4) ‘181’ महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत अब तक 8.70 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई। वन स्टॉप सेन्टर योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कुल 57,427 प्रकरणों में सहायता प्रदान की गई।
- (5) जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु “रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष” की स्थापना। इस योजना के अंतर्गत अद्यतन 17,653 पीड़िताओं को रु0 619.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। प्रदेश में महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 08 महिला शरणालय, 01 संरक्षण गृह, 01 मानसिक मंदित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन। जिनमें विभिन्न समस्याओं से पीड़ित 248 संवासिनी एवं 24 उनके बच्चे निवासरत हैं।
- (6) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 41.42 लाख निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जा रही है।
- (7) प्रदेश में कोविड-19 के कारण अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु “उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” के अंतर्गत 13,924 बच्चों को 4,000 रु0 प्रतिमाह तथा 8,085 बच्चों को लैपटॉप वितरित। “उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)” के अंतर्गत 1,03,611 बच्चों को 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

21. राजस्व:-

- (1) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,530 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अब तक कुल 75,460 ग्रामों में कुल 1,20,14,259 घरों/नियामतों तैयार की जा चुकी हैं।
- (2) अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 4,34,016

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4,31,697 शिकायतें निस्तारित। अभियान के अंतर्गत कुल 84005.08 हे० भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी तथा 25,068 राजस्व वाद, 1,168 सिविल वाद व 4,751 एफआईआर दर्ज कराई गई। 1,413 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित।

(3) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21,659 लाभार्थियों को रु० 1050 करोड़ वर्ष 2026-27 में अब तक 17,152 आश्रितों को लाभान्वित किया गया है।

(4) छः वर्ष में खतौनी बनाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर खतौनी को अब 13 कॉलम के स्थान पर 19 कॉलम करते हुए इसे रियल टाइम करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। इस हेतु 99.87 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

22. परिवहन:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर एवं रुपैडिहा से नेपालगंज स्थानों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बस का संचालन। अन्तर्राज्यीय परिवहन के अंतर्गत उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार व हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है।

(2) मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा 04 बस स्टेशनों का शिलान्यास तथा 08 बस स्टेशनों का लोकार्पण। प्रदेश के विभिन्न मार्गों के महत्वपूर्ण स्थानों पर 305 बस स्टेशन संचालित। विभिन्न श्रेणी की 220 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों को बस बेड़े में शामिल किया गया है। प्रदेश में 09 स्थानों पर इलेक्ट्रिक डीपो व 35 स्थानों पर अपॉर्चुनिटी चार्जर स्थापित।

(3) असेवित गांवों को सेवित किये जाने हेतु 1,540 नए रूट्स का फार्मुलेशन एवं उन पर निगम की बसें चलाये जाने हेतु 374 को अनुमन्य परमिट जारी, शेष मार्गों हेतु प्रक्रिया गतिशील।

(4) सभी बसों में गति नियंत्रण हेतु स्पीड कंट्रोल डिवाइस स्थापित। यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने हेतु 680 बसों में एण्टी स्लीप डिवाइस स्थापित, 13,300 बसों में वीएलटी डिवाइस स्थापित। परिवहन विभाग को भारत सरकार से स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रान्सपोर्टेशन में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत गोल्ड अवार्ड से सम्मानित।

(5) रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2025 में 78.26 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी/एनएसएस/स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से 2,366 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर आबद्धीकरण किया गया।

23. लोक निर्माण विभाग:-

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 36,889 किमी. लम्बाई के ग्रामीण मार्गों का निर्माण। लगभग 29,949 किमी० लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 189 विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने हेतु 1,438 किलोमीटर लम्बाई

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु रु0 2,505 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, जिसमें 170 कार्य पूर्ण। 38 तहसील मुख्यालयों को 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 293 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु रु0 446 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, जिसमें 37 कार्य पूर्ण।

(2) केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि से धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, नवनिर्माण विकास योजना के अंतर्गत पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के 1728.003 किलोमीटर के 424 कार्यों में से 161 कार्य पूर्ण। चीनी मिल मार्ग योजना के अंतर्गत 3740.37 किलोमीटर के 3606 कार्यों में से 3,512 कार्य पूर्ण।

(3) 366 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। 168 रेल उपरिगामी सेतुओं तथा 17 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन चालू। 1,444 लघु सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त, 142 दीर्घ सेतु, 1,312 लघु सेतु, 169 रेल उपरिगामी सेतु तथा 14 फ्लाईओवर सेतु निर्माणाधीन।

(4) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों के विकास, जिसके क्रम में 2,877 किमी० लम्बाई की 158 सड़कों में से 126 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(5) प्रदेश में 04 लेन के कुल 107 मार्ग लम्बाई 843 किलोमीटर एवं लागत रु0 15,672 करोड़ स्वीकृत, जिसमें 31 कार्य पूर्ण।

(6) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अब तक 793 किमी० लम्बाई के मार्गों का 466 कार्य पूर्ण।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का नवनिर्माण।

(8) प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए कुल 70 नये राज्य मार्ग लम्बाई 5,604 किमी० घोषित, इन मार्गों को दो लेन चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

(9) मार्ग सुरक्षा/यातायात सुरक्षा हेतु चिन्हित 567 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी सेफ्टी आडिट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 268 ब्लैक स्पॉट कार्यों की स्वीकृति।

24. पंचायतीराज:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम चरण में 2.18 करोड़ इज्जत घर/व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। प्रदेश के सभी जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत कुल 60,01,300 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। 59,175 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। अब तक कुल 94,829 ग्राम ओडीएफ प्लस घोषित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रबंधन के लिए विकास खण्ड स्तर पर 142 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित तथा गोबरधन योजनान्तर्गत 119 बायोगैस प्लांट स्थापित।
- (4) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 2,95,471 कम्पोस्ट पिट, घर-घर से कूड़ा संग्रहण हेतु 1,23,968 वाहन/हाथ गाड़ी की व्यवस्था सहित 51,928 अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं संग्रहण केन्द्र स्थापित। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 410574 सोक पिट, 612194 नाला/नाली के साथ 54691 ग्रे-वाटर मैनेजमेंट के संसाधन स्थापित।
- (4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में शतप्रतिशत ग्राम सचिवालयों की स्थापना।
- (5) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र पुनरोद्घात योजना के रूप में संचालित।
- (6) 510 कॉमन सर्विस सेंटर अतिरिक्त कक्ष/पंचायत भवन/पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना।
- (7) मैन्युअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृतक के आश्रित को निर्धारित धनराशि देने के प्रावधान के तहत कुल 15 आश्रितों को रु0 190 लाख की धनराशि दी गई।
- (8) पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करते हुए धनराशि हस्तांतरित।
- (9) ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायताार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना। इस कोष के अंतर्गत अब तक कुल 5,565 आश्रित परिवारों को कुल रु0 193.11 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।

25. पर्यटन एवं संस्कृति:-

- (1) प्रदेश में धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक लोकप्रिय धार्मिक ऐतिहासिक एवं पौराणिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं।
- (2) उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक, धार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतर्नियाघाट, विण्ढम, देवदरी-राजदरी, मुक्खा जलप्रपात आदि भारतीय एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) वर्ष 2024 में पर्यटकों के आगमन के आकड़ों के आधार पर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में रैंकिंग निर्धारित की गयी, जिसके अनुसार 30प्र0 घरेलू पर्यटक आगमन में प्रथम स्थान एवं विदेशी पर्यटक आगमन में चौथा स्थान प्राप्त हुआ।
- (4) वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में कुल 01 अरब 56 करोड़ 19 लाख 31 हजार 526 पर्यटक भ्रमण हेतु आये, जिसमें 01 अरब 55 करोड़ 74 लाख 23 हजार 503 भारतीय पर्यटक तथा 45 लाख 8023 विदेशी पर्यटक शामिल थे। इस आंकड़े में प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में आये कुल 66 करोड़ 30 लाख पर्यटकों की संख्या भी शामिल है।
- (5) स्वेदश दर्शन योजना-2 के अंतर्गत विकास कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चैलेन्ज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट योजना में संस्कृति एवं विरासत श्रेणी के अंतर्गत महोबा को विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेन्टर्स टू ग्लोबल स्केल के अंतर्गत आगरा स्थित बटेश्वर एवं श्रावस्ती का समेकित पर्यटन विकास किया जा रहा है।
- (6) डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत मेरठ में 1857 के क्रांति स्थलों, शहीद स्मारकों, सरधना, हस्तिनापुर एवं गाजियाबाद व बुलन्दशहर में पर्यटन विकास कार्य किया जा रहा है।
- (7) जिला योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के 14 नवीन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 17 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 06 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इको टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 2025-26 में इको टूरिज्म के विकास हेतु रु0 50 करोड़ का बजट प्राविधानित, जिससे 23 परियोजनाओं के विकास कार्य कराये जा रहे हैं।
- (8) युवा पर्यटन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में युवा पर्यटन क्लब का गठन मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अनुरूप पर्यटन विभाग द्वारा एग्री रूरल एवं गंगे ग्राम रूरल टूरिज्म परियोजना के माध्यम से चयनित ग्रामों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है।
- (9) उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत 2075 पर्यटन इकाईयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। निवेशकों द्वारा प्रदेश में लगभग रु0 43,342.87 करोड़ निवेश का प्रस्ताव किया गया।
- (10) अयोध्या दीपोत्सव-छोटी दीपावली के अवसर पर 19 अक्टूबर को अयोध्या में राम की पैड़ी पर 2617215 दीप जलाकर सरयू आरती करके एक बार फिर से वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया। इसी प्रकार देव दीपावली-काशी में 03 से 05 नवम्बर तक परम्परागत रूप से दीपोत्सव का आयोजन किया गया। रंगोत्सव-मथुरा में स्थित बरसाना में होली का आयोजन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (11) उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं होम-स्टे नीति-2025 प्रख्यापित। राज्य सेक्टर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन स्थापना सुविधाओं के सृजन एवं विकास हेतु ₹0 119841.10 लाख की 575 परियोजनाएं स्वीकृत।
- (12) उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत एवं इतिहास तथा प्रगतिशील सोच से होती है। यह भूमि, कला, साहित्य, संगीत और धर्म की महानविभूतियों की जन्मस्थली रही है। प्रदेश का संस्कृति विभाग समृद्ध इतिहास के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए सतत प्रयासरत है ताकि इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके।
- (13) संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न गतिविधियों/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 14 अप्रैल, 2025 को डॉ० भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर 29 मई 2025 को लखनऊ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 28 जून 2025 को दानवीर भामाशाह की जयंती पर व्यापारिक कल्याण दिवस का आयोजन, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24-26 जनवरी, 2025 तक “विरासत व विकास, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश” की थीम पर आयोजन किया गया। अक्टूबर 2025 की अवधि में अयोध्या में सावन झूले का आयोजन। श्रीराम मन्दिर अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के शिखर पर ध्वजारोहण के अवसर पर 24 एवं 25 नवम्बर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
- (14) उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले 06 महानुभावों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।
- (15) लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर, जनपद प्रयागराज में निषाद गुहा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।
- (16) सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चहारदीवारी निर्माण योजना के अंतर्गत मंच निर्माण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है।
- (17) ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकार जो जीवन पर्यन्त कला एवं संस्कृति तथा साहित्य साधना में संलग्न रहे किन्तु वृद्धावस्था एवं निम्न स्वास्थ्य के कारण अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं उन्हें ₹0 2000 की मासिक पेंशन दी जा रही है, जिसे ₹0 4000 प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव है।
- (18) वाद्य यंत्र योजना के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्रों का एक-एक सेट प्रदान किया गया।
- (19) दानवीर भामाशाह जयन्ती को व्यापारिक कल्याण दिवस के रूप में मनायी गयी। स्मारकों के संरक्षण एवं देखभाल के लिए संस्कृति विभाग निरन्तर प्रयासरत है। वर्ष 2017 में राज्य में संरक्षित स्मारकों की संख्या 143 थी। वर्तमान में 2025 में यह संख्या 278 है। वर्ष 2027 तक 315 स्मारकों को संरक्षित करने का लक्ष्य है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(20) नवीन संग्रहालय परियोजन के अंतर्गत 2017 से पूर्व 11 संग्रहालय थे। वर्ष 2017 के बाद 22 संग्रहालय हो गये। इस प्रकार संग्रहालयों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

26. ग्राम्य विकास, दुग्ध, पशुधन व मत्स्य विभाग:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 9.67 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों, 65,544 ग्राम संगठनों एवं 3,279 संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से 1.14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।

(2) ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी0सी0 सखी योजना के अंतर्गत 39,890 बी0सी0 सखी द्वारा कार्य करते हुए रु0 45 हजार करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व रु0 124 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया।

(3) लखपति महिला योजना के अंतर्गत 18.56 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 36.56 लाख आवास आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 36.39 लाख आवास पूर्ण। वर्तमान में 30 प्र0 देश में प्रथम स्थान पर है।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

(6) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26 तक 4.72 लाख आवंटित आवास के सापेक्ष 4.55 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण।

(7) मनरेगा में मानव दिवस सृजन में वित्तीय वर्ष 2026-27 में महिला सहभागिता 46.14 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष 2026-27 में अब तक 5.70 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार मिला।

(8) मनरेगा/वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भौतिक लक्ष्य 2,000 लाख मानव दिवस निर्धारित, जिसके सापेक्ष 07 जुलाई, 2026 तक 243.34 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए रु0 1990.61 करोड़ की धनराशि व्यय एवं 11.62 लाख परिवारों को मिला रोजगार। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 2406.13 लाख मानव दिवस सृजित।

(9) भारत सरकार द्वारा पारित विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025 जुलाई, 2026 से प्रदेश में लागू। प्रदेश में 19,996 अमृत सरोवरों का निर्माण करते हुए 30 प्र0 देश में प्रथम।

(10) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय के अंतर्गत कुल स्वीकृत मार्गों में से 2,468 सड़कें पूर्ण। शेष मार्ग निर्माणाधीन।

(11) जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पूरे देश का सर्वाधिक पशुधन है। 20वीं पशुगणना-2019 के अनुसार प्रदेश में 190.20 लाख गोवंश, 330.17 लाख महिषवंश, 9.85 लाख भेड़, 144.80 लाख बकरी, 4.09 लाख सूकर एवं अन्य पशुधन सहित कुल 691.98 लाख हैं।

(12) प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए कुल 7,386 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 12,37,694 निराश्रित गोवंश संरक्षित। मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अंतर्गत 1,14,481 पशुपालकों को अद्यतन 1,84,227 गोवंश दिये गये। चारा नीति-2024-29 एवं उत्तर प्रदेश पशु आहार नीति प्रख्यापित।

(13) दुग्ध उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादन 388.15 लाख मी0टन एवं अण्डा उत्पादन 611.08 करोड़ है।

(14) उद्यमिता विकास एवं निवेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेश के अंतर्गत 3,237 प्रोजेक्ट के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराये गये हैं। जी0बी0सी0-2024 के अंतर्गत 563 इकाईयों के प्रोजेक्ट स्वीकृत, जिसके द्वारा रु0 2106.39 करोड़ का निवेश होगा।

(15) बकरी पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में अनुदान-15 के अंतर्गत 739 बकरी इकाईयां स्थापित तथा वर्ष 2026-27 में 816 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य। भेड़ पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में 225 इकाईयां स्थापित एवं वर्ष 2026-27 हेतु 225 इकाईयों को स्थापित करने का लक्ष्य।

(16) कुक्कुट विकास नीति-2022 के अंतर्गत 286 इकाईयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया। इसमें रु0 69572.18 लाख का अनुमानित निवेश एवं 44,480 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।

(17) चिकित्सा सुविधायें एवं रोग नियंत्रण के तहत वर्ष 2025-26 में खुरपका, मुंहपका के 4.73 करोड़ पशुओं का टीकाकरण, गलाघाँटू के 3.43 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया। 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट का संचालन।

(18) प्रदेश में मछली उत्पादन में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि। इन्वेस्टर्स समिट-2023 के पश्चात अब तक 76 निवेशकों के रु0 1033 करोड़ प्रस्ताव के एमओयू हस्ताक्षरित। मीन महोत्सव एवं एक्वा एक्सपो फरवरी, 2026 में लगभग 05 हजार मत्स्य किसानों हितग्राही उद्यमी निवेशकों एवं वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। रु0 1200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 1400 रोजगार सृजन के प्रस्ताव भी प्राप्त।

(19) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इनलैण्ड सेक्टर में 31 परियोजनाओं का संचालन, 2763 हे0 तालाब का निर्माण, 482 हे0 रियरिंग इकाई, 1306 बायोफ्लॉक, 84 मत्स्य बीज हैचरी, 1304 आर0ए0एस0, 5151 बैकयार्ड आरएएस, 66 इंसुलेटेड व्हीकल, 550 मोटर साइकिल, 144 श्री-व्हीलर, 2727 साइकिल, 140 कियोस्क, 181 जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र, 1131 केज, 235 फीड मिल, 09 मोबाइल लैब और 24 ऑर्नामेंटल रियरिंग यूनिट के कार्य पूर्ण कराये गये।

(20) निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत अब तक 2,455 मछुआरों को नाव वितरित की गई।

(21) मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टों के अब तक 1922.91 हे0 तालाबों में 2,270 मत्स्य पालकों को निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक पर अनुदान उपलब्ध कराया गया।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(22) मत्स्य पालकों के लिए संचालित किसान क्रेडिट योजना के तहत अब तक 19,220 किसान क्रेडिट कार्ड जारी।

27. वन एवं पर्यावरण:-

(1) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग व सहभागिता से प्रदेश में 40 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किये जा चुके हैं। इस प्रकार विगत 09 वर्षों में 282 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किये गये।

(2) माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्बन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों द्वारा उगाये गये वृक्षों द्वारा अर्जित कार्बन क्रेडिट के स्थान पर धनराशि उपलब्ध करवाने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य। प्रदेश में विगत 09 वर्षों में हरित आवरण में 3 लाख 38 हजार एकड़ वृद्धि हुई है।

(3) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत समृद्धि वन, समरस, कपिवन, ऊर्जा वन, महर्षि चरक औषधि वन सहित विभिन्न वनों की स्थापना की गयी है।

(4) प्रदेश में वनावरण 3.72 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.52 प्रतिशत है। प्रदेश के वनों में संचित कार्बन 2.46 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.13 प्रतिशत से अधिक है।

(5) नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश में गंगा-यमुना व सहायक नदियों के जलागम क्षेत्र व तटों पर अविरल धारा वृक्षारोपण के अंतर्गत पौधरोपित। जनपद मथुरा में 36 पौराणिक वनों के पुनः प्राकट्य हेतु इको रेस्टोरेशन तथा पौधरोपण किया गया। निर्धन, निर्बल वंचित वर्गों को सहजन व आम के पौधे वितरित।

(6) विगत 09 वर्षों में पटना पक्षी विहार, शेखा झील व सुरहा ताल को शामिल करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के 12 वेटलैण्ड्स रामसर साइट घोषित। प्रदेश 13 रामसर साइट्स के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।

28. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास:-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 पदक विजेताओं की सीधे राजपत्रित पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें 07 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, 01 खिलाड़ी को यात्री/माल कर अधिकारी, 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी, 02 खिलाड़ियों को जिला पंचायत राज्य अधिकारी, 01 खिलाड़ी को खण्ड विकास अधिकारी एवं 01 खिलाड़ी को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

(2) प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार दिया जाता है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता कुल 15 खिलाड़ियों को ₹0 1.64 करोड़ वितरित।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति-2023 लागू। एक जिला एक खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेन्टर की स्थापना। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना के लिए ₹0 38853.75 लाख की स्वीकृति धनराशि से निर्माण कार्य प्रगति पर। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का व्यापक विकास वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा कराया गया है।

(4) ग्रामीण स्तर पर अब तक कुल 125 स्टेडियम/मल्टीपर्पज हॉल स्थापित। खेलो इण्डिया के अंतर्गत जनपद रायबरेली के जैतपुर व जौनपुर में बहुउद्देशीय क्रीडा हाल का निर्माण। प्रदेश में पंचायत स्तर पर गठित 96 हजार युवक/महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया। विवेकानन्द यूथ अवार्ड में मंगल दलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः 01 लाख, 50 हजार एवं 25 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है। 10 युवाओं को ₹0 50 हजार नगद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, शाल व प्रशस्ति पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया गया।

(5) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत गठन के पश्चात अब तक 18 लाख से अधिक युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 07 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।

(6) इंडिया स्किल्स कम्पटीशन 2026 के अंतर्गत 30प्र0 में अभूतपूर्व रिकार्ड 1,09,249 युवाओं के पंजीयन के साथ देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

29. सूचना विभाग:-

(1) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, ई-संदेश, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा बृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) 30प्र0 फिल्म बन्धु/फिल्म विकास परिषद हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण गतिमान।

(3) मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार। विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल एवं सूचना विभाग का यू-ट्यूब चैनल **सूचना प्रवाह** का शुभारम्भ।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

30. खादी तथा ग्रामोद्योग:-

- (1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 तक 6,798 इकाईयां स्थापित करते हुए 1,32,529 लोगों को रोजगार मिला। वर्ष 2026-27 में 800 इकाईयों की स्थापना एवं 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
- (2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 31,297 इकाईयां स्थापित करते हुए 3,14,955 लोगों को रोजगार। पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत 1,303 संस्थाओं के 4,37,765 कतिनों एवं बुनकरों को लाभान्वित किया गया।
- (3) खादी एवं ग्रामोद्योग विकास सतत् प्रोत्साहन नीति के तहत अब तक 6438 लाभार्थियों को निःशुल्क सोलर चर्खा वितरण, 2556 लाभार्थियों को दोना मेकिंग मशीन वितरित, 2293 लाभार्थियों को पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन वितरित।

31. भूतत्व एवं खनिकर्म:-

- (1) समस्त खनिज सेवाओं को एक छतरी के नीचे लाते हुए ऑनलाइन निस्तारण के लिए "UP Mines Mitra" पोर्टल विकसित।
- (2) जन सामान्य हेतु ऑनलाइन नागरिक/किसान सेवाएं:- जिनमें कृषि भूमि, निजी भूमि, साधारण मिट्टी, भवन/विकास परियोजनाओं से निकले उपखनिजों के निस्तारण, भण्डारण लाइसेंस आदि के लिए 10 सेवाएं प्रदत्त। कुल 4,66,920 आवेदन निस्तारित।
- (3) एकीकृत खनन निगरानी तंत्र के अंतर्गत कुल क्रियाशील 62 चेकगेट, 1,53,942 माइन टैग लगे वाहन और कुल निर्गत नोटिस 2,41,472 के सापेक्ष कुल ₹0 7,56,30,13,793 की धनराशि की वसूली।

32. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-

- (1) राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में निःक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को ₹0 500 प्रतिमाह के स्थान पर 01 नवम्बर, 2024 से ₹0 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक 32 लाख क्षय रोगियों के खाते में ₹0 1,024 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया।
- (2) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के अंतर्गत 15.28 करोड़ से अधिक आभा कार्ड बनाये गये, जो देश में सर्वाधिक हैं। आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 50 लाख परिवार लाभान्वित।
- (3) प्रदेश में '108' एम्बुलेंस सेवा की 2,200 तथा '102' एम्बुलेंस सेवा संचालित। 375 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित हैं। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अंतर्गत 54 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन। फरवरी 2019 से 2026 में अब तक लगभग 1.91 करोड़ से अधिक रोगी उपचारित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। प्रदेश के 227 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीरेडियोलॉजी सेवा संचालित, इसके तहत लगभग 41.46 लाख मरीज लाभान्वित।
- (5) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में संचालित।
- (6) डेंगू मलेरिया जैपनीज़ इन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों पर पूर्ण नियंत्रण। इन रोगों की जांच एवं उपचार हेतु उचित सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से दी जा रही हैं। ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में 94 प्रतिशत एवं मृत्यु में 99 प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 96 प्रतिशत एवं मृत्यु में 99 प्रतिशत की कमी आयी है।
- (7) 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
- (8) महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय गोरखपुर आयुष शिक्षा प्रवेश तथा परीक्षा प्रणाली के एकीकरण, शैक्षणिक गुणवत्ता के नियमन तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में उत्कृष्ट अनुसंधान को प्रोत्साहन देते हुए संचालित। 231 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण व संचालित। 216 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 154 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, 25 राजकीय यूनानी चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माणाधीन।
- (9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 02 राजकीय यूनानी महाविद्यालय, 09 राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित।
- (10) प्रदेश में 1,034 आयुष आरोग्य मंदिर एवं 225 योग वेलनेस सेन्टर संचालित।
- (11) वर्तमान में प्रदेश में 83 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार एवं 02 ई0एस0आई0 द्वारा एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के संचालित मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की कुल सीटें 5,450 एवं निजी क्षेत्र की सीटें 7,350 हो गई हैं।
- (12) कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में कुल 330 बेड क्रियाशील हैं।
- (13) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा वर्ष 2025 में नर्सिंग के कुल 27 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये, जिनमें कुल 6,340 सीटें हैं। वर्ष 2025 में पैरामेडिकल के कुल 12 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये, जिनमें 1,390 सीटें हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

33. विशेष:- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।

- (1) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।
- (2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।
- (3) 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- (4) वर्ष 2025 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 26,17,215 दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।
- (5) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
- (6) गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।
- (7) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- (8) कौशल विकास नीति को लागू करने तथा सेवायोजित कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य।
- (9) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- (10) 07 एक्सप्रेस-वे एवं 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ सर्वश्रेष्ठ।
- (11) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम।
- (12) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 40 करोड़ से अधिक पौधों का रिकॉर्ड रोपण।
- (13) देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- (14) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।
- (15) एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।
- (16) ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।
- (17) ई-अभियोजन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

.....